REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 6 | MARCH - 2026

"असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशा एवं विधिक जागरूकता का अध्ययन" (रीवा जिले के संदर्भ में)

शिवेन्द्र कुमार पाण्डेय
शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारत में असंगठित क्षेत्र रोजगार का प्रमुख आधार है, जहाँ कार्यरत श्रमिकों का विशाल वर्ग सामाजिक सुरक्षा, विधिक संरक्षण तथा संस्थागत सहायताओं से आंशिक या पूर्णतः वंचित रहता है। प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य रीवा जिले के संदर्भ में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशा तथा उनके मध्य विधिक जागरूकता के स्तर का राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना है। शोध अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि लोकतांत्रिक राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के बावजूद श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग आय की अनिश्चितता, रोजगार की अस्थिरता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अभाव से ग्रस्त है। विधिक जागरूकता का निम्न स्तर श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के लाभ से वंचित रखता है। अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण–प्रधान संरचना, सीमित औद्योगिकीकरण तथा प्रशासनिक पहुँच की जटिलताएँ इस समस्या को और गहन बनाती हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन एवं विधिक अज्ञानता परस्पर संबंधित कारक हैं, जो श्रमिकों की राजनीतिक भागीदारी एवं अधिकार–प्राप्ति की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अतः आवश्यक है कि राज्य, प्रशासन एवं नागरिक समाज के समन्वित प्रयासों द्वारा विधिक साक्षरता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार एवं संस्थागत पारदर्शिता को सुदृढ़ किया जाए।

मुख्य संकेत : असंगठित क्षेत्र, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, विधिक जागरूकता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा, रीवा जिला।

प्रस्तावना –

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारभूमि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों पर निर्मित है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'समाजवादी' एवं 'कल्याणकारी' राज्य की अवधारणा यह अपेक्षा करती है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा गरिमामय जीवन की परिस्थितियाँ सुनिश्चित करे। किंतु व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठता है कि क्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक इन संवैधानिक आदर्शों का वास्तविक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? असंगठित क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यापक एवं बहुआयामी अंग है। कृषि, निर्माण, लघु उद्योग, घरेलू सेवा, फुटकर व्यापार, परिवहन

तथा स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक प्रायः अनियमित रोजगार, अस्थिर आय तथा सामाजिक सुरक्षा के अभाव का सामना करते हैं। संगठित क्षेत्र की तुलना में यहाँ श्रम–नियमों का अनुपालन सीमित है और कार्य–स्थितियाँ अपेक्षाकृत असुरक्षित हैं। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थिति राज्य और नागरिक के मध्य सामाजिक अनुबंध की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

रीवा जिला जो मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अवस्थित है, सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी संरचना वाला क्षेत्र है। यहाँ कृषि एवं उससे संबंधित गतिविधियाँ रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही निर्माण कार्य, लघु व्यवसाय एवं अस्थायी श्रम–गतिविधियाँ भी व्यापक हैं। इन क्षेत्रों में संलग्न श्रमिकों की आय प्रायः दैनिक मजदूरी पर आधारित होती है, जिससे आर्थिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। आय की अनिश्चितता उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवासीय स्तर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

विधिक जागरूकता का प्रश्न इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। संविधान एवं विभिन्न श्रम कानून जैसे– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। तथापि यदि श्रमिक इन प्रावधानों से अवगत नहीं हैं, तो अधिकारों की यह संरचना व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी हो जाती है। लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था में अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन नागरिकों की जागरूकता एवं सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करता है।

महिला एवं प्रवासी श्रमिकों की स्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लैंगिक असमानता, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा आर्थिक निर्भरता महिला श्रमिकों के अधिकार–संरक्षण को प्रभावित करती हैं। प्रवासी श्रमिक दस्तावेजी जटिलताओं एवं अस्थायी निवास के कारण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक–आर्थिक विषमता एवं विधिक अज्ञानता का अंतर्संबंध श्रमिक वर्ग को बहुआयामी वंचना की स्थिति में रखता है।

अतः असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशा एवं विधिक जागरूकता का अध्ययन केवल आर्थिक विमर्श नहीं, बल्कि राजनीतिक उत्तरदायित्व, शासन–प्रभावशीलता एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध–पत्र इसी व्यापक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रीवा जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध उद्देश्य –

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं विधिक संरक्षण समान रूप से प्राप्त हो। तथापि असंगठित श्रमिकों की स्थिति यह संकेत करती है कि सामाजिक–आर्थिक असुरक्षा एवं विधिक जागरूकता का अभाव उनके अधिकार–प्राप्ति में बाधक है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- रीवा जिले में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशा का विश्लेषण करना।
- श्रमिकों के मध्य विधिक जागरूकता के स्तर एवं उसकी सीमाओं का परीक्षण करना।
- सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना आँकड़े, नीति आयोग की रिपोर्टें तथा श्रम संहिताओं से संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही प्रतिष्ठित विद्वानों के शोध–पत्रों एवं पुस्तकों का संदर्भ लिया गया है। रीवा जिले की सामाजिक–आर्थिक संरचना से संबंधित आँकड़े राज्य शासन के प्रकाशनों से संकलित किए गए हैं। संकलित सामग्री का विश्लेषण वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति से किया गया है। अध्ययन गुणात्मक प्रकृति का है, जिसमें सामाजिक–आर्थिक दशा एवं विधिक जागरूकता के मध्य संबंध का राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण –

रीवा जिले में असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक दशा का परीक्षण यह दर्शाता है कि आय की अस्थिरता इस वर्ग की मूल समस्या है। दैनिक मजदूरी पर आधारित रोजगार संरचना के कारण श्रमिकों की आय नियमित नहीं रहती, जिससे उनके जीवन–स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की स्थिति प्रायः देखी जाती है। आय की अनिश्चितता सामाजिक सुरक्षा के अभाव के साथ मिलकर आर्थिक असुरक्षा को गहन बनाती है।

शैक्षिक स्तर की दृष्टि से अधिकांश श्रमिक निम्न शिक्षा स्तर के हैं, जिससे उनके मध्य विधिक जागरूकता सीमित है। न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं पंजीयन प्रक्रियाओं की जानकारी का अभाव उन्हें अधिकार–प्राप्ति से वंचित रखता है। लोकतांत्रिक शासन में सूचना की पारदर्शिता एवं पहुँच अधिकारों के क्रियान्वयन का आधार है, किंतु सूचना–प्रसार की कमी इस प्रक्रिया को बाधित करती है।

महिला श्रमिकों के संदर्भ में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पर पूर्णतः लागू नहीं है। मातृत्व लाभ एवं कार्यस्थल सुरक्षा के प्रावधानों का लाभ सीमित रूप से प्राप्त होता है। यह स्थिति राज्य की नीतिगत प्रतिबद्धताओं एवं जमीनी क्रियान्वयन के मध्य अंतर को चिन्हित करती है।

प्रवासी श्रमिकों की समस्या भी महत्वपूर्ण है। दस्तावेजी जटिलताओं एवं अस्थायी निवास के कारण वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। डिजिटल पंजीयन की प्रक्रिया में तकनीकी ज्ञान का अभाव भी बाधक है।

राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह स्थिति राज्य की उत्तरदायित्व क्षमता एवं शासन–प्रभावशीलता का परीक्षण प्रस्तुत करती है। सामाजिक–आर्थिक वंचना एवं विधिक अज्ञानता का अंतर्संबंध नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता को भी सीमित करता है। जब नागरिक अपने अधिकारों से अवगत नहीं होते, तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रभावी भागीदारी नहीं कर पाते। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक–आर्थिक सुधार एवं विधिक साक्षरता के समन्वित प्रयासों के बिना असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सार्थक परिवर्तन संभव नहीं है।

निष्कर्ष –

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्रतिपादित होता है कि रीवा जिले में असंगठित श्रमिक सामाजिक–आर्थिक असुरक्षा एवं विधिक जागरूकता के अभाव से ग्रस्त हैं। आय की अनिश्चितता, रोजगार की अस्थिरता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक सुरक्षा कवरेज का अभाव उनके जीवन–स्तर को प्रभावित करता है। विधिक अज्ञानता उन्हें उपलब्ध अधिकारों एवं योजनाओं के लाभ से वंचित रखती है।

राजनीतिक दृष्टि से यह स्थिति कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। आवश्यक है कि राज्य द्वारा सूचना–प्रसार, विधिक साक्षरता अभियान एवं सरल पंजीयन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए। महिला एवं प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष नीतिगत प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु असंगठित श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक सुदृढ़ता एवं विधिक जागरूकता का विस्तार अनिवार्य है। यही लोकतांत्रिक शासन की वास्तविक सफलता का मापदंड है।

संदर्भ –

1. सेन, अमर्त्य, विकास के रूप में स्वतंत्रता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2017
2. शर्मा, ए. एन. भारत में असंगठित क्षेत्र और श्रम नीति, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2018
3. द्रेज, जाँ, और अमर्त्य सेन, भारत : विकास और सहभागिता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2019
4. भल्ला, एस. एस. भारतीय श्रम बाजार की संरचना और परिवर्तन, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2020
5. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, आईएलओ प्रकाशन, जिनेवा, 2021
6. नीति आयोग, भारत में रोजगार परिदृश्य रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2022
7. मध्यप्रदेश श्रम विभाग, निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाएँ : प्रगति प्रतिवेदन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल, 2023